संख्याः15/2020/1094/61-2020-550/2019

प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक दिसम्बर, 2020

विषयः अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2015 निर्वाचन की विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–904/सी0ई0ओ0-3-17/3-2020, दिनांक 22 अक्टूबर, 2020 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन चिकित्सा व्यय, मानदेय और यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय तथा अन्य व्यय इत्यादि के लिए रू0—73.87 लाख (रूपये तिहत्तर लाख सत्तासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0–9 (भाग–1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-170/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/ प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(4) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कर लिया जायेगा।

(5) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुएऔचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(8) लेखाशीर्षक 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय मद से सम्बंधित होने वाले व्यय का वहन 50-50 प्रतिशत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। लेखाशीर्षक 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन मद से सम्बंधित होने वाले व्यय का वहन 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। **2/-**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्षक 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचन मद से सम्बंधित होने वाले व्यय का वहन 100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। लेखाशीर्षक 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा मद से सम्बंधित होने वाले व्यय का वहन 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(9) आहरित धनराशि किसी बैंक/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी तथा धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-41 लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-03-विधानसभा एवं संसद-00-07-मानदेय मद की सम्भावित बचतों से अनुदान संख्या-41 के लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन-00-103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00-49-चिकित्सा व्यय एवं 2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-00-42-अन्य व्यय तथा 2015-निर्वाचन-00-105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-05-राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचन-00-07-मानदेय और 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00-04-यात्रा व्यय तथा 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00-08-कार्यालय व्यय और 2015-निर्वाचन-00-106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार-03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00-42-अन्य व्यय के अंतर्गत पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-12-1965/दस-2020, दिनांक 26नवम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-यथोक्तः-</u>

भवदीय,

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

<u>संख्याः-15/2020/1094(1)/61-2020-550/2019, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग–3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.gov.in</u> से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम:-41, निर्वाचन विभाग वित्तीय वर्ष:-2020-2021 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण- 03-विधानसभा एवं संसद-00- 07-मानदेय	8487.58	179.69	179.69	73.87	8413.71
योग:-	**8487.58**	**179.69**	**179.69**	**73.87**	**8413.71**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण- 04-विधान परिषद्-00- 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.00	3.86	1.86	0.00	2.00
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण- 05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00- 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	5.00	7.34	2.34	**0.00**	**5.00**
2015-निर्वाचन-00- 103-निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण- 05-निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-00- 49-चिकित्सा व्यय	20.00	38.00	18.00	**18.00**	**38.00**
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 08-कार्यालय व्यय	100.00	183.30	83.30	**0.00**	100.00
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00	28.32	18.32	**0.00**	10.00
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-00- 42-अन्य व्यय	30.00	60.00	30.00	30.00	60.00
2015-निर्वाचन-00- 105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 05-राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन / उप निर्वाचन-00- 07-मानदेय	0.10	0.38	0.28	0.28	0.38

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

2015-निर्वाचन-00- 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00- 04-यात्रा व्यय	0.01	1.20	1.19	1.19	1.20
2015-निर्वाचन-00- 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00- 08-कार्यालय व्यय	0.01	14.41	14.40	14.40	14.41
2015-निर्वाचन-00- 106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार- 03-सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा-00- 42-अन्य व्यय	0.01	10.01	10.00	10.00	10.01
योग:-	**167.13**	**346.82**	**179.69**	**73.87**	**241.00**

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-
चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-
विधान परिषद् निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु प्रपत्रों की छपाई तथा क्रय की गयी लेखन सामग्री, जिला निर्वाचन कार्यालयों तथा मतदाता पंजीकरण केन्द्रों के प्रयोगार्थ कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यू0पी0एस0 तथा एंटीवायरस आदि के क्रय किये जाने, अधिकारीयों/कर्मचारियों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बंधित प्राप्त देयकों के भुगतान हेतु लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में जिला निर्वाचन कार्यालयों द्वारा किये गए विविध व्ययों तथा राजकीय मुद्रणालय के देयकों के भुगतान हेतु लेखन सामग्री तथा प्रपत्रों की छपाई पर हुए व्यय, निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृतअपंग हुए कार्मिकों के आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति हेतु संपन्न हुए राज्य सभा के उप निर्वाचनों से सम्बंधित मानदेय के भुगतान हेतु, अन्य राज्यों से ई0वी0एम0 लाये जाने पर अधिकारीयों/कर्मचारियों द्वारा की गयी शासकीय यात्रा पर हुए व्यय तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन के प्रयोगार्थ टेन्ट फर्नीचर, ध्वनि, प्रकाश, ईधन, सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं विज्ञापन आदि पर हुए व्यय आदि से सम्बंधित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आरई.144/ई-12-1965/दस-2020, दिनांक 26.11.2020

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज (इलाहाबाद) ।

(पंकज कुमार सिंह)
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन ।

ओम प्रकाश वेदी
विशेष सचिव,
वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

संख्या:15/2020/1094(1)//61-2020-550/2019, दिनांक 26.11.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

पंकज कुमार सिंह
अनु सचिव,
निर्वाचन विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in